छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर – 490021
दूरभाष क्र. –0771–4048788 फैक्सः 4073553

आम सूचना

क्र. पी.न.–19/2007(टी)/2007 दिनांकः 09/07/07

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 2007–08 के फुटकर टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका क्रमांक 19/2007 (टी) आयोग को प्रस्तुत की है । छत्तीसगढ़ की आम जनता से दिनांक 17/09/2007 तक सुझाव/आपत्तियां बुलाने हेतु मण्डल द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में एक सूचना दिनांक 25/08/2007 को प्रकाशित की गई है।

राज्य में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति की स्थिति का आयोग द्वारा आंकलन कर पाया गया कि उच्चतम मांग अवधि में अगले कुछ वर्षो में भी विद्युत की कमी बनी रहेगी । राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी कालावधि आधारित टैरिफ को प्राथमिकता से लागू करने का प्रावधान है।

मांग तथा आपूर्ति के अंतर को कम करके उच्चतम मांग की वक्र रेखा को कुछ हद तक सपाट करने के उद्देश्य से ऐच्छिक टाइम आफ डे टैरिफ को **सभी औद्योगिक अति उच्चदाब/उच्च्दाब उपभोक्ताओं पर आवश्यक रूप से लागू करना** आयोग द्वारा प्रस्तावित है। अन्य शर्तें तथा दर वर्तमान अनुसार ही होंगी।

इस प्रस्ताव पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने के इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव आयोग के सचिव को दिनांक 24/09/2007 तक लिखित में भिजवायें ।

सचिव